[अध्यक्ष महोदय]

से बोलना है तो मैं इजाजत नहीं दे सकता ।

श्री तुलशी दास जाधव : अगर आप की आज्ञा होगी तभी मैं बोलूंगा । मेरा कहना यह है कि यहां पर बड़ी अजीब बात है कि एक आदमी बोलता है तब दूसरे लोग उस को सुनते नहीं हैं, चार पांच खड़े हो जाते हैं । 5 परसेंट आदमी सब गड़बड़ी करते हैं, जो 95 परसेंट आदमी सुनने वाले होते हैं वह बैठे होते हैं । आप को हाउस की मदद करनी चाहिए । कल की बात आप को मालूम है कि राज्य सभा में क्या क्या गड़बड़ हुई । अखबार में.. (व्यवधान)...

MR. SPEAKER : I do not allow it. Will you please sit down ?

श्री तुलशी दास जाधव : मेरी विनती है कि इस हाउस में हमारे जैसे लोग जो हैं उनका भी कुछ ज्यादा आदर किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : हम ऐसे आदमियों का आदर नहीं करेंगे जो स्पीकर का कहना नहीं मानते ।

SHRI RAGHU RAMAIAH : I have really nothing to add to what you have so wisely remarked at the end of all these speeches. They are very valuable suggestions. Of course, as regards the part-heard discussion moved by Shri Prakash Vir Shastri, we will certainly provide for it. It is a question of time. We cannot lose sight of it. It has to be provided.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : Next week.

SHRI RAGHU RAMAIAH : As you have rightly said, we will take note of whatever has been said and whatever can be done will be done.

12.48 hrs.

PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER

(Shsi Chandrajeet Yadav)

MR. SPEAKER : Shri ChandraJeet Yadav wanted to make a personal explanation.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittoor) : Shri Manubhai Patel is not here. It is better he is also here. You can allow him on Monday. That is my request.

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, गत 26 तारीख को मेरी अनुपस्थिति में सदन में श्री मनुभाई पटेल ने मेरा नाम ले कर मेरे सम्बन्ध में एक अत्यन्त आपत्तिजनक आक्षेप किया है जिस का मैं स्पष्टीकरण करने के लिए आप की अनुमति चाहता हूं ।

श्री पटेल ने सदन में बोलते हुए कहा कि :

> "परसों ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो तीन नये सदस्य लिये गये हैं अर्थात् श्री चन्द्रजीत यादव, श्रीमती नन्दिनी सत्पथी और श्री गणेश, उन के बारे में श्री चिन्तामणि पाणिग्रही और श्री वेदव्रत बरुआ आदि ने जाकर प्राइम मिनिस्टर से यही शिकायत की है कि वह कम्यूनिस्ट हैं । उन्होंने कहा कि वह कम्यूनिस्ट हैं मैं इस लिए विरोध नहीं करता हूं, मैं विरोध इसलिए करता हूं कि वे आर एम्बेसी पीपल होने की वजह से उसी दल के साथियों ने उन की शिकायत की है ।"

उपरोक्त आक्षेप शरारतपूर्ण असत्य निराधार और गैर-जिम्मेदारी से भरा हुआ है । मैं इस घृणास्पद आरोप को अस्वीकार करते हुए कहना चाहता हूं कि इस माननीय सदन में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध चाहे वह सदन का सदस्य हो या न हो उसके चरित्र के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का आक्षेप करते हुए पूर्ण सावधानी एवं उत्तरदायित्व का परिचय देना चाहिए ।

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : Shri Manubhai Patel only said what he had read in the papers.

श्री राम किशन गुप्त (हिसार) : उन के अपने आदमी कह रहे हैं। उन के प्रेजिडेंट ने खुद कहा कि मैंने गलती की कि उन को वर्किंग कमेटी में लिया है।

MR. SPEAKER : I am very sorry that these aspersive remarks were made. The members should always respect each other. After all, we have a number of difficult issues and we differ on them, but this is not the way, to throw all sorts of aspersions on another hon. Member. I am very sorry. I never approve of it. Nor will I allow anybody from this side or any side to do the same.

12.50 hrs.

OATHS BILL—*contd.*

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : हाउस के सामने जो बिल है, उसकी मैं हिमायत करता हूं। हमारे देश की बहुत ज्यादा आबादी है, हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारे देश में मुख्तलफि धर्मों और मजहबों को मानने वाले लोग रहते हैं, उनके रस्मोरिवाज अलग अलग हैं, उनके खयालात अलग अलग हैं, मुख्तलिफ देवी देवताओं की यहां पूजा होती है और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ला कमीशन की तरफ से जो सिफारिशें आई हैं और उनकी बेसिस पर जो बिल मिनिस्टर साहब ने हाउस के सामने पेश किया है, उसकी मैं हिमायत करता हूं।

पहली अर्ज तो मैं यह करना चाहता हूं कि हर एक बिल में जो यह रखा जाता है क्लाज 1 में कि जम्मू और काश्मीर पर यह लागू नहीं होगा, इसकी मैं मुखालिफत करता हूं। जम्मू काश्मीर हिन्दुस्तान का एक हिस्सा है और उस पर इसको तथा दूसरे बिलों को लागू न किया जाए, यह समझ में नहीं आता है। उस पर भी इसको लागू किया जाना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि क्लाज 2 और क्लाज 3 बी में कंट्रेडिकशन है। क्लाज दो सेविंग क्लाज है। यह कहा गया है कि इस बिल की आर्म्ड फोर्सिस पर एप्लीकेशन नहीं होगा। कोर्ट मार्शल्ज के लिए, उनके सामने जाने के लिए ओथ्स की जरूरत नहीं होगी। यह चीज आर्म्ड परसनल पर एप्लाई नहीं करेगी। लेकिन साथ ही साथ क्लाज 3 बी में आप कहते हैं :

> "the commanding officer of any military, naval, or air force station or ship occupied by the Armed Forces of the Union........."

इसका मतलब यह है कि उन पर यह लागू होगी। मैं समझता हूं कि 3 बी जो है वह रिडडेंट है, बेमानी है और इसको डिलीट कर दिया जाए।

विटनैसिस के लिए, ज्यूरर्ज के लिए खास तौर पर इस बिल की एप्लीकेशन होगी। कुछ भाइयों ने कहा है कि क्लाज 6 और क्लाज 7 बेकार हैं। मैं समझता हूं कि ये बेकार नहीं हैं। ये तो इस बिल की जान हैं। उन्होंने ऐसा समझ लिया है कि कोई आदमी धर्म की सौगन्ध नहीं उठायेगा या एफर्मेशन की बात नहीं करेगा तो जितनी प्रोसीडिंग्ज हैं अदालत के सामने या जितना एवीडेंस है या और कोई इस किस्म की प्रोसीडिंग हैं वे सारी की सारी नल एंड वायड होंगी। इसका मतलब तो यह हुआ कि आम तौर पर जो हम रोज बात करते हैं वह सारी झूठी बात करते हैं अदालत से बाहर हम बात करते हैं, हाउस में करते हैं या और कहीं करते हैं, उसके बारे में यह प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि सारी झूठी बात है। ओथ इस वास्ते ली जाती है कि प्रोसीडिंग्ज की थोड़ी ज्यादा सैंक्टेटी हो जाए। यह बात बिल्कुल ठीक है। आप भी अध्यक्ष महोदय, वकील हैं। आप जानते हैं सी० आर० पी० सी० के सैक्शन 537 को। अगर कोई ओमिशन